# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर

Telephone : 91-145-2627454 Fax : 91-145-2420429
Website- www.rajeduboard.rajasthan.gov.in
E-mail - bserajmer@gmail.com


क्रमांक :गोपनीय/उ.पु.हाल/मा.शि.बो./आरटीपीपी प्रथम अपील/1626 दिनांक :– 29/9/25

## –: अपील निर्णय :–

प्रार्थी फर्म किड्स इन्टरनेशनल के द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 के तहत प्रथम अपील दिनांक 01.09.2026 प्रस्तुत की गई एवं फर्म द्वारा पत्र दिनांक 25.09.2026 से निवेदन किया गया कि मानवीय दृष्टिकोण से हमारी फर्म की प्रतिष्ठा को देखते हुए बोर्ड द्वारा हमें क्षमा कर उक्त डिबार की कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश देने का कष्ट करें। उक्त अपील के संदर्भ में सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2026 निश्चित की गई एवं अपीलार्थी को जरिये मेल दिनांक 25.09.2026 को सूचित किया गया। अपीलार्थी फर्म की ओर से श्रीमति नितिका जैन आज दिनांक 29.09.2026 को उपस्थित हुई एवं शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार कर आज दिनांक 29.09.2026 को मध्यान्ह पश्चात 03.30PM पर अपील की सुनवाई निश्चित की गई। सुनवाई में भी फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से फर्म की गलती को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

किड्स इन्टरनेशनल फर्म को निदेशक (गोपनीय) के आदेश क्रमांक गोपनीय/मा0शि0बो0/उ.पु. हॉल/2024/C–138110 दिनांक 12.12.2024 से आरटीपीपी एक्ट 2012 के तहत बोर्ड द्वारा आमंत्रित वर्तमान व आगामी समस्त निविदाओं में तीन वर्ष तक विवर्जित (Debar) किया गया है। यधपि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि ई–निविदा संख्या गो0/उपु0 हॉल/2025/01 दिनांक 10.10.2024 में निविदा की कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी फर्म को नियम विरूद्ध तरीके से विवर्जित (Debar) किया गया है, इसलिये उक्त आदेश को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें। परन्तु अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2026 से निवेदन किया गया है कि फर्म द्वारा की गयी गलती को क्षमा कर डिबार की कार्यवाही निरस्त करने का आदेश देने का कष्ट करें।

आज सुनवाई दिनांक 29.09.2026 को फर्म की प्रतिनिधि नितिका जैन द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में पुनः फर्म द्वारा किये गये गलत कृत्य के लिये क्षमा चाही गई एवं क्षमा करते हुए डिबार आदेश दिनांक 12.12.2024 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि विभाग के आदेश दिनांक 12.12.2024 से फर्म को बोर्ड द्वारा आमंत्रित वर्तमान व आगामी की जाने वाली सभी निविदाओं में तीन वर्षों तक भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया गया है। उक्त विवर्जन की अवधि दिनांक 11.12.2027 को

29/9/26

लगातार पृष्ठ सं. 1

समाप्त होनी है। परन्तु अपीलार्थी फर्म के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2026 व व्यक्तिगत सुनवाई में क्षमा चाहने के तथ्य, मानवीय दृष्टिकोण व व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक गोपनीय द्वारा जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन करते हुए उक्त फर्म की उक्त निविदा में जमा टैण्डर राशि जब्त करने व आर्थिक दण्ड रूपये 50,000/– (पच्चास हजार) से दण्डित किया जाता है एवं फर्म की विवर्जित (Debar) करने की अवधि फर्म द्वारा पश्चाताप करने की तिथि 25.09.2026 के अगले दिवस 26.09.2026 से समाप्त किया जाता है। फर्म को विवर्जित करने की अवधि दिनांक 12.12.2024 से 25.09.2026 तक प्रभावी रहेगी एवं फर्म को चैतावनी दी जाती है कि भविष्य में किसी भी टैण्डर में झूठे तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं करें।

29/9/26

हनुमान सिंह राठौड़
अध्यक्ष

क्रमांक :गोपनीय/उ.पु.हाल/मा.शि.बो./आरटीपीपी प्रथम अपील/16246 दिनांक :– 29/9/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सचिव, विशेषाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
3. निजी सचिव, वित्तीयसलाहकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य नियंत्रक (परीक्षा), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
6. उप सचिव, (सम्पदा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
7. ए.सी.पी.(आई.टी.सैल) को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. उप निदेशक (गोपनीय), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।
11. कार्यालय सूचना पट्।
12. मैसर्स किड्स इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, आगरा।

Jinwan

निदेशक (गोपनीय)
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,
अजमेर

लगातार पृष्ठ सं. 2